(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक २४८१/तीन/१४ विरूध्द आदेश दिनांक ४/१२/२०१२ पारित व्दारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक ३८/स्व0पे्निग0/११-१२

टेरा उर्फ राम सजीवन तनय श्री रामनाथ पाल
निवासी ग्राम सरवई तहसील गौरहार जिला छतरपुर - आवेदक

- विरूध्द -

1 स्वामीदीन तनय माधव कांछी
निवासी ग्राम सरवई तहसील गौरहार
जिला छतरपुर
2 शासन म0 प्र0 - अनावेदकगण

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा,अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक1

आ दे श

आज दिनांक 2.3.16 को पारित

१. यह निगरानी प्र क्र २४८१/तीन/14 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा की धारा ५० के अंतर्गत अपर

कलेक्टर के प्र क्र ३८/स्वपे्ररणा निग/२०११-१२ में पारित आदेश दि ४-12-१२ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

आक्षेपित आदेश से अपर कलेक्टर ने गैरनिगराकार के आवेदन पर निगराकार के हित में प्र क्र २३२/अ-१९(४)/८७-८८ में दि ४-६-८८ को पारित पट्टा आबंटन आदेश के विरुद्ध यह आधार लिखते हुए स्व-प्रेरणा निगरानी दर्ज की गयी है कि प्रकरण में शासन का हित निहित है. इसी के विरुद्ध यह निगरानी दर्ज हुई है.

३ निगराकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्ष १९८८ में पट्टा आबंटन आदेश होने के २४ वर्ष बाद उसके विरुद्ध स्व-प्रेरणा निगरानी दर्ज नहीं की जा सकती, तथा गैरनिगराकार का स्वयं का शासकीय भूमि पर अवैध कब्ज़ा है, अतः उसके आवेदन के आधार पर स्व-प्रेरणा निगरानी प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए. गैरनिगराकारपक्ष का तर्क है कि निगराकार का पट्टा अवैध है क्योंकि उसके पास पूर्व से कृषि भूमि थी, निगराकार द्वारा उसके पट्टे से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, और गैरनिगराकार का उनके (गैरनिगराकार के) द्वारा बताई गयी भूमि पर लम्बे समय से कब्ज़ा है जिसपर उन्होंने अर्थदंड भी दिया है, अतः, स्व-प्रेरणा निगरानी में सुनवाई उपयुक्त है.

४ तर्कों के प्रकाश में मैंने प्रकरण के अभिलेख एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया. इस सब के आधार पर मैं निम्न बिंदु प्रकरण में टीप एवं विचार योग्य पाता हूँ:

(१) जहां अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूलभूत प्रश्नों पर साक्ष्य ना लिया गया हो या अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पष्टतः अवैध हो, वहां स्व-प्रेरणा से पुनरीक्षण किया जा सकता है. २००६ रा नि ८८, १९८७ रा नि ३०४,

१९७६ रा नि ४९३ उच्च न्या, १९७६ रा नि २१, १९६८ रा नि २२३, १९६६ रा नि २७७.

(२) हालांकि अपर कलेक्टर ने अपने आक्षेपित आदेश में स्पष्टतापूर्वक इसका खुलासा नहीं किया है कि उन्हें स्व-प्रेरणा निगरानी में लेने के लिए कौन से आधार दिखे या यह कि उन्हें प्रकरण में शासन का कौन सा हित निहित दिखा, किन्तु उनके न्यायालय का अभिलेख देखने से यह प्रथमदृष्टया प्रकट होता है कि निगराकार टेरा उर्फ़ रामसजीवन के नाम से कुछ भूमियाँ राजस्व अभिलेखों में हैं जिनके खसरों की प्रतियाँ अपर कलेक्टर के अभिलेख में अवलोकनीय हैं. इनके प्रकाश में इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि तहसीलदार ने टेरा की अन्य भूमियों की सही जानकारी लिये बगैर उसे पट्टा आबंटित कर दिया हो.

(३) गैरनिगराकार न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है. वह स्वयं अतिक्रामक है. केवल अर्थदंड दे देने से उसे अतिक्रमित भूमि पर अधिकार उद्भूत हो गए हों, ऐसा नहीं माना जा सकता. यदि उसके द्वारा अतिक्रमण किया जाकर विधि का उल्लंघन किया गया है तो उसके विरुद्ध भी विधि अनुसार योग्य कार्यवाही बिना विलम्ब होनी चाहिए और शासकीय भूमि संरक्षित की एवं रखी जानी चाहिए.

(४) गलत प्रविष्टियों के बारे में सूचना अभिप्राप्त होने के तुरंत पश्चात् पुनरीक्षण की स्व-प्रेरणा की शक्ति प्रयुक्त किये जाने को विलंबित होना नहीं कहा जा सकता, २००९ रा नि ३५७ (उच्च न्या). अतः, यदि अपर कलेक्टर ने गैरनिगराकार की ओर से दि २७-६-१२ को उपरोक्त बातों की सूचना प्राप्त होने पर दि ४-१२-१२ को स्व-प्रेरणा निगरानी दर्ज की, तो यह १८० दिवस के भीतर हुई, और इसे विलंबित मानने की आवश्यकता नहीं है.

(५) आक्षेपित आदेश से अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुआ है. अंततः निराकृत नहीं. इस आदेश के उपरान्त उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का अवसर अपर कलेक्टर न्यायालय में उपलब्ध रहता है, जो अपर कलेक्टर को उन्हें समुचित रूप से विधि अनुसार उपलब्ध कराने के बाद ही अपना अंतिम निर्णय लेना चाहिए.

५ उपरोक्त के प्रकाश में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि हालांकि अपर कलेक्टर का आक्षेपित आदेश उनके निर्णय के आधारों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, किन्तु प्रकरण के अभिलेखों के प्रकाश में वह गलत भी नहीं है. अतः मैं उनके द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को यथावत रखता हूँ.

साथ ही अपर कलेक्टर को यह निर्देश देता हूँ कि वे इसके आगे के अपने समस्त आदेश स्पष्टतापूर्वक निष्कर्षों और निर्णयों के आधारों और कारणों और क्षेत्राधिकार के बिन्दुओं आदि का पूरा खुलासा करते हुए ही पारित करें, उनके बगैर नहीं. और यह भी कि वे उनके न्यायालय के प्रकरण में अंतिम निर्णय लेने के पूर्व उभयपक्ष को पक्ष-समर्थन, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का पूर्ण अवसर अनिवार्यतः उपलब्ध कराएं.

आदेश पारित.
पक्षकार एवं अपर कलेक्टर, छतरपुर सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

2.3.16

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर